

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/06/23 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/06/23 को पेश हो।

प्रा० पत्र संख्या:- 681/2023

उनवान बबलू बनाम भूमिधारी

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से हो चुकी है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 2612, 2612/5271 कुल किता 02 कुल रकबा 5.07 हैक्ट. ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना के प्रार्थी रिकॉर्ड खातेदार कार्तकार है। भूमि का तहसीलदार, नीमकाथाना के आदेश से दिनांक 23.06.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे।


बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड क अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नं. 2612, 2612/5271 कुल किता 02 कुल रकबा 5.07 हैक्ट. प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत पत्थरगढी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाक तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नं. 2612, 2612/5271 कुल किता 02 कुल रकबा 5.07 हैक्ट. का प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 23.06.2023 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार क कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।




(राजनीर सिंह पादक)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

